

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।
पीठासीन अधिकारी सर्वेश कुमार मिश्र (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा 2073)
राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक: 14.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त की जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को धारा 144/155 रेल अधिनियम के अंतर्गत 200/-रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 02 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073